राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—2474 / 2024

शिवप्रसाद चौटिया

—अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महेशरा, तिजारा जिला अलवर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.08.2024
आदेश की दिनांक : 06.08.2024

उपस्थिति :—
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता (भौतिक विज्ञान) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महेशरा, तिजारा जिला अलवर में कार्यरत है। पूर्व में व्याख्याता, भौतिक विज्ञान के पद से वेतन का आहरण श्री अरूण कुमार गोयल को हो रहा था, परंतु श्री अरूण कुमार गोयल की पदोन्नति होने पर पदस्थापन अन्य जगह हो चुका है एवं उनको दिनांक 18.05.2023 को कार्यमुक्त किया जा चुका है। इस प्रकार वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महेशरा, तिजारा जिला अलवर में केवल अपीलार्थी ही व्याख्याता, भौतिक विज्ञान के पद पर कार्यरत है, परंतु अपीलार्थी को उनके पद से वेतन आहरित नहीं किया जा रहा है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को उन्हीं के पद से वेतन दिलाया जाये। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी का नाम शालादर्पण में भी इंद्राज नहीं किया गया है, जिस कारण से अपीलार्थी को अधिशेष होना माना जा रहा है, जबकि अपीलार्थी राजकीय उच्च

माध्यमिक विद्यालय महेशरा, तिजारा जिला अलवर में व्याख्याता, भौतिक विज्ञान के पद पर अकेले ही कार्यरत है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी एकमात्र व्यक्ति है, जे व्याख्याता, भौतिक विज्ञान के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महेशरा, तिजारा जिला अलवर में कार्यरत है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को उनके वर्तमान पद से वेतन आहरण कर अदा किया जाये एवं अपीलार्थी का नाम शालादर्पण में भी अंकित किया जाये।

5. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)